आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प 12(15)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांक : 22-12-2023

–: परिपत्र :–

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर
(संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर सहित)

विषयः–राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं अन्य निगमों/संस्थानों द्वारा जयपुर में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित किये जाने वाले राजकीय आवासों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशक (वित्त), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने उनके पत्र क्रमांक डी–705 दिनांक 04.08.2023 द्वारा इस विभाग को अवगत कराया गया है कि निगम द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास उपलब्ध कराये जाते है परन्तु उनके द्वारा सेवानिवृति/स्थानान्तरण उपरान्त भी निगम के आवास को रिक्त नहीं किया जाता है एवं रिक्त कर दिया है तो उनके द्वारा निगम के आवासों का नियमानुसार किराया जमा नहीं कराया जाता है। निगम को ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली करने मे अत्यधिक कठिनाई होती है साथ ही ऑडिट आक्षेपों का भी सामना करना पडता है।

अतः जयपुर स्थित समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि वे उनके विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जिनको राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं अन्य निगमों/संस्थानों के द्वारा जयपुर में राजकीय आवास आवंटित किया गया है, के सेवानिवृत/स्थानान्तरण होने पर उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अदेयता प्रमाण पत्र एवं लास्ट पे सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व संबंधित निगम/संस्थान की सहमति प्राप्त करे।

21.12
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय/मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. निदेशक (वित्त),राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उनके पत्र दिनांक 04.08.2023 के संदर्भ में।
5. समस्त निगम/बोर्ड/प्राधिकरण को सूचनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली ।

21/12
प्रमुख शासन सचिव

Scanned with CamS